खण्ड-463, अंक-4
बुधवार, 2 ज्येष्ठ, शक संवत् 1929
(23 मई, 2007 ई0)

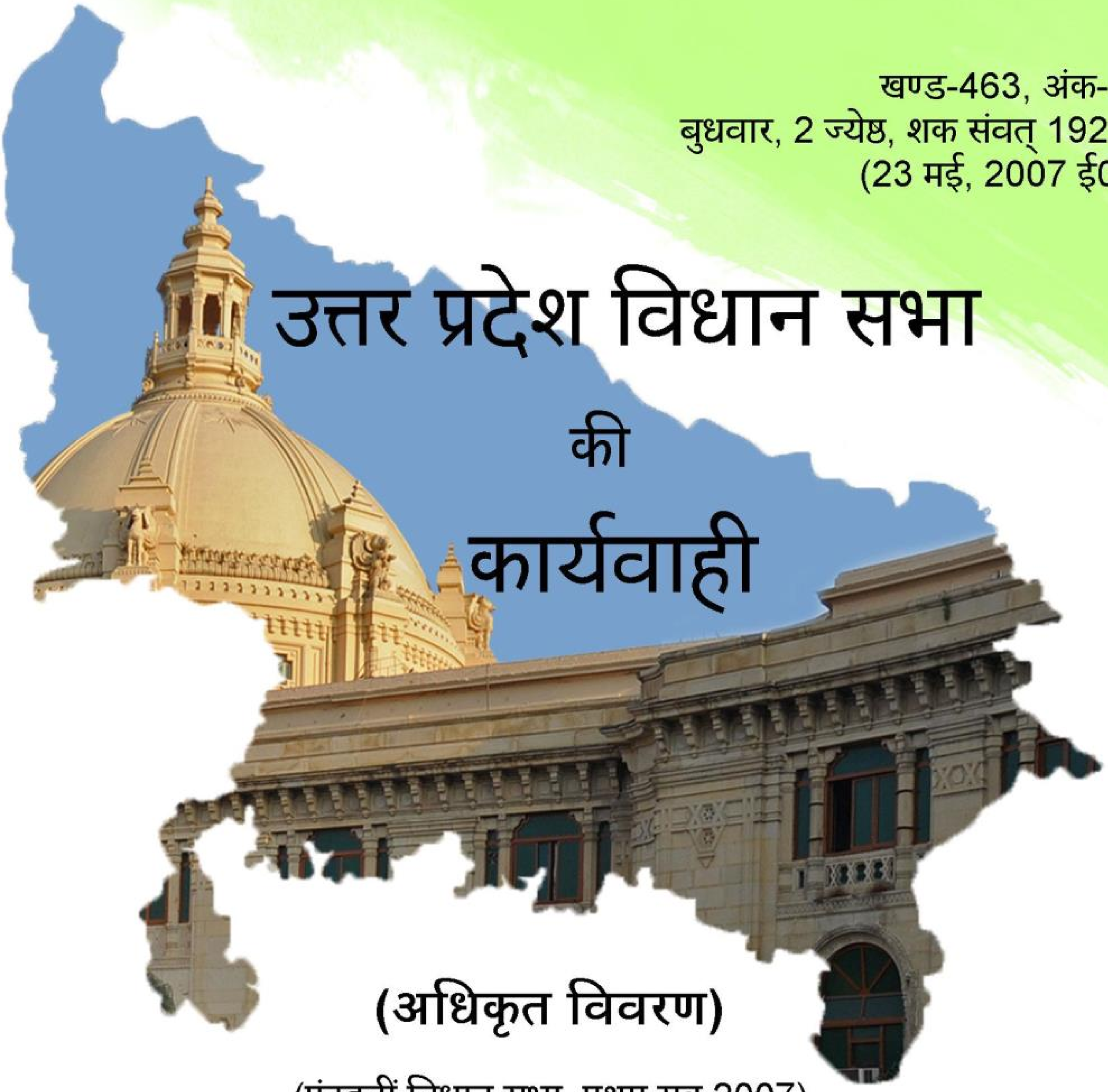

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2007)

खण्ड 463 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
गोरखपुर में बम धमाकों की घटना पर शासन से तथ्यों को सदन में रखने की मांग	1-3
श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित "असंवैधानिक सरकार का गठन" का प्रकरण	3-7
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)	7
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	7-8
लखनऊ में चल रही अवैध दूध डेरियों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	8-9
जनपद हाथरस, थाना-सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत तीन दलित परिवार की पुत्रियों के अपहरण पर पुलिस द्वारा अभी तक एफ0आई0आर0 दर्ज न करने एवं कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	9-10
वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से प्रहलाद घाट तिराहे पर सन् 2002 में बोरिंग किये गये नलकूप के अवशेष कार्य को पूर्ण करने एवं चालू करने हेतु 12 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	10-11
जे0 पी0 नगर के विधान सभा क्षेत्र गंगेश्वरी में अंगद नदी की डी0 सिल्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11
जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज एवं रामकोला चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को अविलम्ब कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	11-12
गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर स्थित टूटे हुए महेसरा पुल का अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	12
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन सिवपुरा को अविलम्ब चालू काने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12
स्टेट फार्मेसी, लखनऊ में तैनात कर्मियों के वेतन आदि को श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा जबरिया निकाल लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
औचित्य के प्रश्न की सूचना	13
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार (सदन के पटल पर रक्खा गया) ...	14

विषय				पृष्ठ-संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (स्वीकृत) ...			...	14-15
सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)			...	
राष्ट्रीय गान	...	...	...	[illegible]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 मई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-347

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, श्री	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	महोबा
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल, श्री	बिजनौर
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान महमूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
चन्द्र प्रकाश, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर, प्रो0	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददुदन, श्री	श्रावस्ती
ददुदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीरनगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नारायण सिंह, श्री	आगरा
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, श्री	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
मीना गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मो0 अलीम खां, श्री	बुलन्दशहर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद ताबीशं, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
हाजी याकूब, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर उर्फ अनू, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदासनगर(भदोही)
रघुनाथ प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रमेश चन्द्र, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधाकृष्ण उर्फ आर0के0 शर्मा, श्री	बरेली
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, श्री	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	सुल्तानपुर
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री	बरेली
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नरायण, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, श्री	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री	मेरठ	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सत्येन्द्र, चौ0	बागपत	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सनातन, श्री	बलिया	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सिबगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सीमा, श्रीमती	जौनपुर	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुभाष, श्री	बलिया	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़		

नोट :-आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोरखपुर में बम धमाकों की घटना पर शासन से तथ्यों को सदन में रखने की मांग

(विपक्ष के सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर बोलने लगे)

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। इस सरकार द्वारा कानून व्यवस्था की बड़ी-बड़ी घोषणायें की गयीं लेकिन वह इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से क्या कार्यवाही सरकार कर रही है इस पर इस सदन को अवगत होने का अधिकार है। हमारी मांग है कि पूरे सदन को घटना से अवगत करायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में नियम-51 की सूचना हमारी भी है।

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि जो गोरखपुर में घटना हुई है इस प्रदेश की एकता और अखंडता को नष्ट करने के लिये एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि प्रदेश में साम्प्रदायिकता फैले उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जैसे वाराणसी, अयोध्या की घटनाओं पर, सभी दलों ने बन्धन से मुक्त होकर एक मत से इसकी निन्दा की थी उसी प्रकार से इस बार भी यह संदेश जाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हम दलों में नहीं बंटे हैं बल्कि सभी राजनैतिक दल इसकी निन्दा करते हैं, इस सम्बन्ध में एक संदेश जाना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह प्रस्ताव पारित हो और इसके लिये मैं आग्रह करूंगा कि समाजवादी दल, भारतीय जनता पार्टी, लोकदल और बसपा के जो नेता हैं वह सब मिलकर एक प्रस्ताव पारित करें और इस आतंकवादी घटना को रोकने में पूरी ताकत से एक जुट होकर दिखायी दें। यह स्पष्ट है कि इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, यह साधारण बम हो सकता है परन्तु वह स्थान अति ज्वलन्तशील स्थान था, चाहे वह पेट्रोल पम्प रहा हो या ट्रांसफार्मर के निकट रहा हो। घटना गोरखपुर में की गयी परन्तु उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता को फैलाने का प्रयास किया गया है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि यह ताकतें, जो इसको अंजाम दे रही हैं, उसके लिये दृढ़तापूर्वक कदम उठाये जायें और उनके चेहरे से नकाब उठाया जाय जो इस आतंक को बल दे रही हैं, प्रश्रय दे रही हैं, उनके खिलाफ इस सदन के सभी राजनैतिक दल, सरकार के साथ खड़े होंगे। हम सब मिलकर वाराणसी और अयोध्या की तरह इन साम्प्रदायिक आतंकी ताकतों को नेस्तनाबूद करने के लिये दलों के बन्धनों को तोड़कर मिलकर खड़े होंगे, ऐसा संदेश जाना चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अभी तो घटना पर सरकार का पक्ष आया ही नहीं। सरकार के पक्ष में खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे इसके पहले तथ्य तो सामने आयें कि क्या हुआ है ? कौन इसका जिम्मेदार है ? यह आया नहीं सरकार की तरफ से खड़े हो गये। पहले सरकार सारे तथ्यों को सदन में रखे। यह एक अति महत्वपूर्ण घटना है कल की। इसलिए यह चिन्ता का विषय है। इसलिए यह सरकार अपने पक्ष को सदन के समक्ष रखे और यह प्राथमिकता का विषय हो फिर देखेंगे। यह एक आतंकवादी घटना है, सभी दल इसकी निन्दा करेंगे।

*श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न आया है और आपको समर्थन भी मिलने लगा। आपकी सरकार बनने से पहले आपको समर्थन मिला, आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा चाहे आप मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। लेकिन जो प्रश्न सदन में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने रखा वह एक गम्भीर प्रश्न है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा, शायद यह बताने की जरूरत नहीं है कि उस पीठ से हमारी क्या उम्मीदें होनी चाहिए और आपके दायित्व क्या होने चाहिए ? आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य ही नहीं, वरिष्ठ नेता भी हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। आपको इसके संसदीय कार्यों और परम्पराओं का अच्छी तरह से ज्ञान है उन्हें संभाल कर रखना और कोई ऐसी बात आने वाले कल में न हो कि सत्ता में रहें या नहीं रहें लेकिन किसी व्यक्ति का नाम इस बात से याद किया जाय कि उसके रहते हुए परम्पराओं और नियमों को तोड़ा गया हो, क्योंकि यह सदन बहुत से सवालात से जुझा रहा है। कानून व्यवस्था का सवाल पूरे प्रदेश में बहस का विषय बना हुआ है। जो उम्मीद की गयी थी, जो आशाएं बांधी गयी थीं, वह किस तरह से टूटी हैं उसको कहने की जरूरत नहीं है ? क्या माहौल पूरे प्रदेश में बनने वाला है उसका भी आपको अंदाजा है ?

श्री अध्यक्ष-

आपने गोरखपुर के बारे में चिन्ता व्यक्त की है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं गोरखपुर की घटना ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की घटना के बारे में आपसे कह रहा हूं कि इन चार दिनों में अपराध का ग्राफ घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष-

आप जो इस बात को रख रहे हैं, इसे किसी नियम के अन्तर्गत रखते तो उचित रहता। आखिर आप किन नियमों के अन्तर्गत इस बात को रख रहे हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री मोहम्मद आजम खां और श्री अध्यक्ष जी के एक साथ अपनी-अपनी बात कहने से व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बनारस में सभासद को गोलियों से भून दिया गया, कानपुर में क्या हुआ, इस बात से भी आप अवगत हैं, देवबन्द में मान्यवर, जो घटना घटित हुई उससे भी आप अवगत हैं.....

मान्यवर, अगर एक वक्त में हम दोनों लोग बोलेंगे तो सदन किसी की भी बात को नहीं सुन सकेगा। आप बोलें मैं चुप हो जाऊं, मैं बोलूं तो आप चुप रहें, इसी तरह से सदन चलेगा लेकिन अगर हम दोनों लोग बोलेंगे तो सदन नहीं चलेगा। यही संरक्षण हमें आपसे चाहिए मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप बोलते रहें और मैं न बोलूं, मैं आपको पूरा संरक्षण दे रहा हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित "असंवैधानिक सरकार का गठन" का प्रकरण

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस पीठ पर बैठ कर आप सिर्फ सत्ता पक्ष के रहें, यह सुन्दर बात नहीं है मान्यवर। हम यह समझते हैं कि हमें आपसे ज्यादा संरक्षण मिलना चाहिए। आप हमारे ज्यादा हैं, उनके कम हैं, इसलिए हम अपने अधिकार को आप तक पहुंचाते हुए इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप हमारे अधिकारों का ज्यादा संरक्षण करेंगे।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह आक्षेप उचित नहीं है। माननीय उप नेता, समाजवादी पार्टी द्वारा इस तरह से पीठ पर आक्षेप करना उचित बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय उप नेता, समाजवादी पार्टी इस बात का ध्यान रखें कि आप पीठ पर बैठे हुए हैं मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी के बारे में पहले से ही इस तरह की बातें करना, आक्षेप करना, यह उचित बात नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह कहना कि आप हमारे ज्यादा हैं, हमें आपसे ज्यादा मोहब्बत है, हम आपसे ज्यादा उम्मीदें करते हैं और अगर संसदीय कार्य मंत्री को यह बात बुरी लगी है, तो मुझे खेद है इस बात पर कि हमारे आपके रिश्तों और सम्बन्धों.....

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस बात पर हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन माननीय मोहम्मद आजम खां साहब आपको यह कह रहे हैं कि यह आपकी सरकार है। मान्यवर, आप तो पीठ पर हैं, आप विधान सभा अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से ऐसा कह कर आपको इस तरह से बांटने का काम कर रहे हैं और एकपक्षीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मान्यवर, यह आक्षेप उचित नहीं है, मैंने इस पर अपनी बात कही है और अगर आप उनका संरक्षण चाहते हैं, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर हमारा संरक्षण करें और हमारी बात को अच्छे से सुनें। मैं यह कहना चाह रहा हूं मान्यवर कि यह सही है कि समाचार पत्रों का सदन में संज्ञान नहीं लिया जाता है, लेकिन यह भी सही है कि समाचार-पत्र हमारी जम्हूरियत का एक मजबूत स्तम्भ है, और उसके बगैर जम्हूरियत आगे नहीं बढ़ सकती है। आज के सभी अखबारों में महामहिम के उस अभिभाषण पर अपनी राय चाहे एडीटोरियल से हो, चाहे समाचार-पत्रों के माध्यम से हो.....

श्री अध्यक्ष-

मैं भी यही निवेदन करता हूं तो आप कहते हैं कि.....

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, उसके बगैर तो बात ही तय नहीं होती, जब तक यह बात क्लीयर न हो जाय कि गत सरकार संवैधानिक थी या नहीं थी.....

श्री अध्यक्ष-

अभी आप गोरखपुर की घटना के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, अब आप इस बात पर आ गये हैं, अब आप बात को दूसरी तरफ डायवर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको गोरखपुर की घटना की चिन्ता ही नहीं है। आपको केवल अपनी चिन्ता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, जब तक अध्यक्ष पीठ से इस बात का निर्णय नहीं हो जाता कि गत सरकार संवैधानिक थी या नहीं थी.....

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप गलत कह रहे हैं, इसका मतलब आपको गोरखपुर की घटना की चिन्ता ही नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमें आपका संरक्षण चाहिए, हमें आपसे सिर्फ यह सुनना है, हमें आपसे इस बात पर रूलिंग चाहिए.....

श्री अध्यक्ष-

कल भी आपने इस विषय को औचित्य के सवाल के रूप में उठाया था और मैंने उसय औचित्य के सवाल को अग्राह्य कर दिया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश हो जाएं कि पिछली सरकार असंवैधानिक थी या नहीं थी ? हमारी संतुष्टि हो जायेगी और अगर वह सरकार संवैधानिक थी.....

श्री अध्यक्ष-

मैंने उसको अग्राह्य कर दिया है। एक बार पीठ का निर्णय हो चुका है इस बिन्दु पर, अब बार-बार आप वही बिन्दु क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है यह आपका अधिकार है। मैं आपके अधिकरों को रोक नहीं सकता हूं।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप नियमानुसार हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। आप हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट, माननीय चौधरी साहब, आप नियमों से चलेंगे कि नहीं ? कल औचित्य का विषय था, मैंने उसे अग्राह्य कर दिया।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन की वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-314 के अन्तर्गत पीठ के विनिश्चिय पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। मान्यवर, नियम-314 में उल्लेख है कि किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी.....

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, इस पर आपका विनिश्चय हो चुका है, इसलिए इस पर अब आपत्ति नहीं की जा सकती है।

(सदन के वेल में आये समाजवादी पार्टी के सदस्यगण नारे लगाने लगे)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में पहली बार एक नई परम्परा डाली गई कि बिना सदन बैठे ही सदन की बैठक बार-बार स्थगित होती रही।

जबकि परम्परा यह थी कि मा0 अध्यक्ष पीठ से जब तक यह कह दिया जाता है कि अमुक दिन व दिनांक को हम पुनः 11 बजे बैठेंगे तो यह बैठक अपरिहार्य कारणोंवश भी नहीं टाली जाती है। लेकिन चौदहवीं विधान सभा में इन परम्पराओं का जमकर दुरुपयोग किया गया। बिना सदन की बैठक के अनेक बार सदन की बैठक की तिथि को बदला गया। बार-बार समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर लाखों रुपये खर्च किये गये।

इनका सदन के संचालन व परम्परा से कोई लेना-देना नहीं है, सिर्फ हो-हल्ला कर सदन का समय नष्ट करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग तो वरिष्ठ सदस्य हैं। अपने सब सदस्यों को आसन पर ले जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के पास अब कोई बिन्दु शेष नहीं है जिसे सदन में उठा सकें। जानबूझकर सदन का समय बर्बाद कर एक ही विषय पर जोर देने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त, 2003 से 13 सदस्यों की सदस्यता को निरस्त करने का और स्पष्ट निर्णय देने का काम किया है, उसके बाद निश्चित रूप से पिछली सरकार जो थी वह असंवैधानिक थी। इस बात पर हम जोर देते हैं कि पिछली सरकार का गठन अवैधानिक था, असंवैधानिक था। इस विषय पर आपने सदन में अपना विनिश्चय घोषित कर दिया है इसलिए यह बिन्दु पुनः नहीं उठ सकता है।

(सदन के वेल में आये समाजवादी पार्टी के सदस्यगण लगातार नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह लोग यहां पर हो-हल्ला करके सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं। आज ऐसे ही हो-हल्ला करने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को जनता ने ठुकराने का काम किया है। जनता से ठुकरा दिये जाने के बाद आज यह पूरे सदन को हाई-जैक करना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके, और साथ ही साथ कि सदन का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो, नियमानुसार सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कृपा करें।

(तदुपरान्त घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने श्री मोहम्मद आजम खां को श्री राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन रखने के लिये पुकारा परन्तु श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव †

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने संशोधन के प्रस्ताव नहीं लाना चाहते हैं। आप आजम खां साहब अपनी बात कहिये संशोधन प्रस्ताव पर। आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, इसलिए यह प्रतीत होता है कि आप प्रदेश के बारे में चिन्तित नहीं हैं। आपको प्रदेश के बारे में कोई चिन्ता नहीं है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इन लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है। यह असंवैधानिक लोग हैं।

(इसी मध्य सदन के फ्लोर पर खड़े इरफान सोलंकी, श्री उस्मानुल हक, कु0 संन्ध्या आदि अनेक सदस्य प्रतिवेदक टेबुल के ईयर फोन नोचते हुए टेबुल पर चढ़ गये तथा अध्यक्ष-पीठ की ओर बढ़ने के प्रयास में सुरक्षा सहायकों से धक्का-मुक्की करते हुए अध्यक्ष-पीठ की ओर कागज के गोले फेंकने लगे।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नियम 301 की सूचनाओं को लेते हैं।

---

† दिनांक 22 मई, 2007 की कार्यवाही से।

आज दिनांक 23 मई, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :--

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ में चल रही अवैध दूध की डेरियों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की हाथरस के थाना सिकन्दराराऊ में तीन दलित परिवार की पुत्रियों के अपहरण पर पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज न करने एवं कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की वाराणसी शहर दक्षिणी क्षेत्रान्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से बोरिंग किये नलकूप के अवशेष कार्य को पूर्ण करने एवं चालू करने हेतु रुपये 12 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री हरपाल सिंह की जे0पी0 नगर के गंगेश्वरी क्षेत्रान्तर्गत अगद नदी की डी-सिल्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत स्थित चीनी मिल तथा कप्तानगंज स्थित चीनी मिल द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की, गोरखपुर-सौनौली मार्ग के टूटे हुए मसेहरा पुल का अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की, जनपद बलरामपुर के तुलसीपुर क्षेत्रान्तर्गत नव-निर्मित विद्युत सब-स्टेशन को अविलम्ब चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री आलोक कुमार की है जो स्टेट फार्मेसी लखनऊ में तैनात कर्मियों के वेतन आदि को श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा जबरन निकाल लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :--

1-श्री कौकब हमीद, 2-श्री राधेश्याम जायसवाल, 3-श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

लखनऊ में चल रही अवैध दूध डेरियों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ में दूध की अवैध डेरियां चल रही है सड़कों पर जगह-जगह पर दूध के केन ले करके दूध बेचने वाली मण्डियां अवैध रूप से लग रही हैं। यह लोग कृत्रिम दूध बनाकर लोगों को बेच रहे हैं जिसके कारण शहर में तरह-तरह के संक्रामक रोग फैल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकारी डेरियों में भी दूध का अभाव होने के कारण कृत्रिम दूध बनाकर उनको थैलियों में पैक कर जनता को बेचा जा रहा है। यह कृत्रिम दूध, यूरिया, सफेद पेन्ट तथा अन्य पदार्थों को मिलाकर बनाया जा रहा है जो मानव जीवन के लिये अत्यन्त हानिप्रद है। समाचार-पत्र और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से लगातार इस प्रकार के कृत्रिम दूध का प्रयोग न करने के लिये जनता को चेतावनी भी दी जा रही है, किन्तु यह अनैतिक कार्य खुले आम लखनऊ में हो रहा है। मध्य विधान सभा क्षेत्र में मोहान रोड पर टिकैतराय एल0 डी0 ए0 कालोनी के समीप दूध की अवैध मण्डी लग रही है जिनमें दूधियों के द्वारा इस प्रकार का अनैतिक कार्य किया जा रहा है।

मैं शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर ध्यान देकर मानव जीवन से खिलवाड़ कर रहे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाय और इस प्रकार सड़कों पर चल रही अवैध दूध की मण्डियों को बन्द किया जाय।]

जनपद हाथरस, थाना-सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत तीन दलित परिवार की पुत्रियों के अपहरण पर पुलिस द्वारा अभी तक एफ0आई0आर0 दर्ज न करने एवं कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल सिंह चौहान-

[मान्यवर, पूरे प्रदेश में अपहरण, डकैती, राहजनी, हत्या, एवं लूटपाट का उद्योग चल रहा है परन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा एफ0 आई0 आर0 तक दर्ज नहीं की जाती है जिससे पीड़ितों को दर-दर भटकना पड़ता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है।

दिनांक 10-5-07 को श्रीमती सोनकली पत्नी श्री सूबेदार सिंह जाटव निवासी अहरोली, थाना कासगंज, जनपद एटा की नाबालिग पुत्री कु0 अनीता आयु 14 वर्ष उनकी छोटी बहन कमलेश पत्नी नरेश निवासी फरीदाबाद, थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस दो मोटर साइकिल पर सवार बदमाश दबंगों ने रात को 8 बजे शौच जाते समय अपहरण कर लिया गया परन्तु अभी तक थाना सिकन्दराराऊ की पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 नहीं दर्ज की गयी और न ही उनकी पुत्री को बरामद किया गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसी प्रकार दिनांक 16-5-07 को थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस के अन्तर्गत श्रीमती लौंगश्री बेवा स्व0 सरनाम सिंह निवासी ग्राम डण्डेसरी कोतवाली, सिकन्दराराऊ की नाबालिग पुत्री अनीता का भी अपहरण कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा अपहरण करने वाले दबंग लोगों के विरुद्ध सूचना दी गयी परन्तु अभी तक एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

दिनांक 13-5-07 को ओमपाल सिंह निवासी भुड़िया म0 सुजावलपुर, थाना कोतवाली सिकन्दराराऊ की बहन कु0 कुसमा आयु 12 वर्ष की दिन में 12 बजे खेत पर जबरदस्ती अपहरण कर लिया गया जिसकी सूचना देने पर भी अभी तक एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अभी तक इन पीड़ित परिवारों के पुत्रियों का पता भी नहीं लगाया गया है।

अतः लोक महत्व के जनहित से जुड़े तात्कालिक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने एवं पीड़ितों की पुत्रियों का पता लगाने तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से प्रहलाद घाट तिराहे पर सन् 2002 में बोरिंग किये गये नलकूप के अवशेष कार्य को पूर्ण करने एवं चालू करने हेतु 12 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

[महोदय, शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों में पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त है। सन् 1999-2000 में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से भैरोनाथ मोहल्ले के लिये एक बड़ा नलकूप स्वीकृत हुआ था एवं 12 लाख रुपये की धनराशि भी अवमुक्त किया गया था। लेकिन स्थान उपलब्ध न होने के कारण परिवर्तित स्थल प्रह्लाद घाट तिराहे पर जल निगम वाराणसी द्वारा वर्ष 2002 में उक्त नलकूप का बोरिंग का कार्य किया गया लेकिन विभाग द्वारा आपत्ति करने एवं शेष धन अवमुक्त न करने के कारण उक्त नलकूप को आज तक चालू नहीं किया जा सका जिससे आस-पास के क्षेत्र में लोग पेयजल के कष्ट से बुरी तरह परेशान हैं। उक्त समस्या के निदान हेतु मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क करने का कोई नतीजा नहीं निकल सका। नलकूप के अवशेष कार्य को पूर्ण कर चालू करने हेतु 12 लाख रुपये की धनराशि की मांग जल निगम वाराणसी द्वारा की गयी है। अतः मेरी मांग है कि व्यापक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित एवं पेय जलापूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए उक्त नलकूप के अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से 12 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त किया जाय एवं नलकूप को जनहित में अविलम्ब चालू कराया जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोकमहत्व के अविलम्बनीय सूचना द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नलकूप को अविलम्ब चालू कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जे0 पी0 नगर के विधान सभा क्षेत्र गंगेश्वरी में अगद नदी की डी0 सिल्टिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरपाल सिंह-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र गंगेश्वरी, जिला जे0 पी0 नगर में अगद नदी पूरे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह क्षेत्र वैसे भी वर्ष दर वर्ष बाढ़ से पीड़ित रहा है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मूल समस्या साथलपुर कूड़ाघाट से आदमपुर तक अगद नदी में भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो जाने के कारण इसका उथला हो जाना है। नदी के उथली हो जाने के कारण नदी का पानी सामान्य समय में नदी के किनारों को पार करके, आसपास के हजारों बीघा जमीन में फैल जाता है। इसके फलस्वरूप पूरे क्षेत्र के जलीय क्षारणता बढ़ने के कारण तथा स्थाई जल जमाव के कारण सारी फसलें नष्ट हो जा रहा है। क्षेत्र के हजारों लाखों किसान फसल सड़ने के कारण भुखमरी, बीमारी, कुपोषण एवं मौत का शिकार हो रहे हैं। जनहित में एक अभियान चलाकर नदी की डी-सिल्टिंग कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर नियम-301 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना देता हूं।]

जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज एवं रामकोला चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को अविलम्ब कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला, जनपद कुशीनगर स्थित चीनी मिल तथा कप्तानगंज स्थित चीनी मिल में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिस कारण हजारों किसानों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि शीघ्र ही गन्ना मूल्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का भुगतान नहीं किया गया तो कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। गन्ना किसान आन्दोलन की राह पकड़ सकते हैं। गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा न किये जाने से गन्ना किसानों में भयंकर क्षोभ व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर स्थित टूटे हुए महेसरा पुल को अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय बहादुर यादव-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 170 मानीराम, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गोरखपुर-सोनौली मार्ग का महेसरा पुल टूट गया है जिसके कारण आवागमन बाधित है। भारी वाहन नहीं जा पा रहे हैं जिसके कारण जनमानस प्रभावित हो रहा है। जनहित में महेसरा पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गोरखपुर-सोनौली मार्ग के महेसरा पुल का निर्माण अविलम्ब कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर के अन्तर्गत नवनिर्मित विद्युत सब स्टेशन सिवपुरा को अविलम्ब चालू कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*महंत कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 139 तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर में विद्युत आपूर्ति की समस्या के निदान हेतु सिवपुरा में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। सिवपुरा विद्युत सब-स्टेशन का कार्य पूर्ण होने के बाद भी कई वर्षों से इसे चालू नहीं किया गया है। जिसके कारण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है और जनहित में बनाया गया उक्त विद्युत सब स्टेशन बेकार हो रहा है। जनहित में इसे अविलम्ब चालू किया जाना चाहिए।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सिवपुरा विद्युत सब-स्टेशन को अविलम्ब चालू कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्टेट फार्मेसी, लखनऊ में तैनात कर्मियों के वेतन आदि को श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा जबरिया निकाल लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आलोक कुमार-

[महोदय, मैं अति लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 5 मार्च, 07 को इलाहाबाद बैंक टूड़ियागंज कालेज, लखनऊ में स्थित बैंक के खाते से कर्मियों का पैसा वसूली विभाग श्रम कार्यालय कानपुर द्वारा अवैध रूप से निकाल लिया गया है 70,000 (सत्तर हजार रुपया) कर्मियों का वेतन व अन्य मद का था जिसे गलत तरीके से निकाला गया है श्रम विभाग के अधिकारी मनमाने तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं। शासन स्तर पर श्रम विभाग व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के मध्य वार्ता हो चुकी है परन्तु छोटे कर्मियों की धनराशि वेतन आदि को निकाला नहीं जाना चाहिए। अतिरिक्त बजट देकर निकाले गये धनराशि का भुगतान तत्काल किया जाये नहीं तो कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं और आन्दोलित हैं। श्रम विभाग को वसूली करनी थी तो विभाग से कर्मियों का धन कैसे निकाला, सोचनीय विषय है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार से तत्काल कार्यवाही कर बजट देकर कर्मियों के निकाले गये धनराशि का भुगतान जो 70,000 है को कराने की मांग करता हूं।]

(सदन के बेल में आये सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाते रहने के कारण घोर व्यवधान बना रहा)

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 मई, 2007 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित एक सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्राप्त हुई जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दिनांक 22 मई, 2007 को सदन में अव्यवस्था फैलाने के बाद धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा न हो पाने के सम्बन्ध में है।

दिनांक 22 मई, 2007 को सदन में व्यवधान होने पर अध्यक्ष पीठ से बार-बार अनुरोध किया गया था कि माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जायें ताकि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक ढंग से चले। सदन की कार्यवाही को चलाने में सभी माननीय सदस्यगण का सहयोग अपेक्षित होता है। इसलिए औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत यह नहीं आता है। अतः इस औचित्य के प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिये (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-2 से 5 में कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

प्रस्ताव रख दें मान्यवर।

मान्यवर, कोई संशोधन नहीं है इसलिए धन्यवाद के प्रस्ताव को पास कराने के लिये प्रस्ताव रखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष को आज संशोधन प्रस्ताव पर विचार रखना था।

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें, बहुत सम्मानित सदस्य हैं, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय रामकिशुन जी, आप अपनी बात अपने स्थान पर जाकर कहें। (घोर व्यवधान) आप अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं। आपको प्रदेश की जनता के बारे में कोई चिन्ता नहीं है।

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उप नेता जी आप अपना संशोधन प्रस्ताव क्यों नहीं रख रहे हैं ? महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आप अपना संशोधन प्रस्ताव तो रखें। मैं निवेदन कर रहा हूं, कई बार निवदेन कर रहा हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मोहम्मद आजम खां, आप अपनी बात तो रखें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या आप अपना संशोधन प्रस्ताव नहीं रखना चाहते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं माननीय अवधेश प्रसाद जी तथा माननीय नरेन्द्र सिंह वर्मा जी से भी कह रहा हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव पर

अपने विचार अपना संशोधन प्रस्ताव तो रखें। मैं तो सभी सदस्यों से कह रहा हूं । माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी आप अपना संशोधन प्रस्ताव रखना चाहते हैं। आप अपनी बात कहे। माननीय ओम प्रकाश जी, हुकुम सिंह जी, लाल जी टण्डन जी, सतीश महाना जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, उदयभान करवरिया जी, श्रीमती कृष्णा राज जी तथा श्री यशपाल सिंह चौहान आप अपना संशोधन प्रस्ताव रखना चाहते हैं, आप अपनी बात रखें। श्री कौकब हमीद साहब, डा0 अजय तोमर जी, श्री मदन भैया जी, सत्येन्द्र सोलंकी जी, श्री अब्दुल बारसी जी, श्री पूरन प्रकाश जी, डा0 अनिल चौधरी जी, सुश्री विमलेश सिंह जी, श्री कादिर राणा जी, श्री सत्य पाल सिंह जी आप अपना संशोधन प्रस्ताव रखना चाहें तो रखें। और कोई माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ये लोग कोई संशोधन नहीं रखना चाहते हैं किसी के पास कोई बिन्दु नहीं है। इसलिये कोई संशोधन नहीं रखना चाहते। आप प्रश्न उपस्थित करें।

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर किसी माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव नहीं किया है इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं--

प्रश्न यह है कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 21 मई, 2007 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और प्रस्ताव मूल रूप में ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ)

(नारेबाजी के कारण हो रहे व्यवधान के मध्य)

सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राष्टीय-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन पूर्वाह्न 11 बजकर 23 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

दिनांक 23 मई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 192 विधान सभा (328)-10-7-07-813 (कम्प्यूटर)।